



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 05.08.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 503/26 धारा 65(1)/78/16(2)/351(2) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0



503/26 धारा 65(1)/78/16(2)/351(2) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 64(1) बीएनएस का विलोपन कर धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-शादाब पुत्र राशिद निवासी निवासी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-जुबैर पुत्र नौशाद निवासी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है0का0 151 सन्दीप दहिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-रि0का0 285 प्रशान्त बरूआ थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 05.08.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 507/26 धारा 191(2)/191(3)/190/196/115(2)/109(1)/132/121/352/351(2)/324(4)/61(2) बीएनएस व धारा 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, घटनास्थल से 04 लाठी-डण्डे व जूता-चप्पल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.08.2026

को थाना कोतवाली बागपत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि प्रथम पक्ष के अभियुक्तों 1. वेदप्रकाश पुत्र कालूराम, 2. अंकित, 3. गौरव, 4.



मिलिन्द, 5. देवानन्द पुत्र वेदप्रकाश, 6. आंचल, 7. अभिषेक पुत्रगण वेदप्रकाश व द्वितीय पक्ष के 1. मोहन पुत्र दयाराम, 2. रोहित, 3. अमन, 4. निखिल पुत्रगण मोहन, 5. सुशील पुत्र रमेश, 6. अजीत पुत्र ओमी, 7. गगन पुत्र देवकरण निवासीगण ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत व 10 – 15 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा एक दूसरे पर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये ईंट पत्थर बरसा रहे हैं, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल व भय व्याप्त हो गया । उक्त सूचना पर थाना कोतवाली बागपत पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा दोनों पक्ष के लोगों को समझाने का प्रयास किया तो अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से लाठी-डण्डों एवं ईंट-पत्थरों से हमला किया गया । उक्त सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 507/26 धारा 191(2)/191(3)/190/196/ 115(2)/109(1)/132/121/352/351(2)/324(4)/61(2) बीएनएस व धारा 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 507/26 धारा 191(2)/191(3)/190/196/115(2)/109(1)/132/121/352/351(2)/324(4)/61(2) बीएनएस व धारा 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, घटनास्थल से 04 लाठी-डण्डे व जूता-चप्पल बरामद हुए हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1-देवानन्द पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-अंकित पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-वेदप्रकाश पुत्र कालूराम निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-मोहन पुत्र दयाराम निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-अमन पुत्र मोहन निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-रोहित पुत्र मोहन निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटनास्थल से 04 लाठी-डण्डे व जूता-चप्पल बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री राजकुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 599 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-रि0का0 388 हरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक- 05.08.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 240/2026 धारा 304(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से छिनी गयी एक जोड़ी कानों की बाली/कुन्डल (पीली धातु) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.07.2026 को थाना दोघट पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त वादिया के कानों के कुन्डल छीन कर भाग गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 240/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 240/2026 धारा 304(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से छिनी गयी एक जोड़ी कानों की बाली/कुन्डल (पीली धातु) बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विकास पत्र कंवरपाल निवासी पट्टी भोजाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- छीनी गयी एक जोड़ी कानों की बाली/कुन्डल (पीली धातु)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री विकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० प्रान्शु राजपूत थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 706 दयाचन्द थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 510 प्रदीप थाना दोघट जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 05.08.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 260/26 धारा 309(4)/351(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूटे गये रूपयों में से 12000/- रूपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.08.2026 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी पिल गौतम पुत्र श्री गंगादास निवासी ग्राम खेड़की थाना मवाना जनपद मेरठ पद कलेक्शन एजेंट (सत्या फाइनेंस) ने लिखित तहरीर दी कि मो0साईकिल स्प्लेन्डर सवार दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात वादी व वादी के साथी अभिषेक पुत्र श्री इन्द्रपाल निवासी ग्राम बसा टीकरी थाना कोतवाली बागपत को तमंचा दिखाकर जान से



मारने की धमकी देते हुए कलेक्शन के पैसों से भरा बैग जिसमें रखे कुल 55,700/- रूपये तथा अभिषेक के पर्स जिसमें डीएल व 1200/- रूपये रखे थे, को छीन कर ले गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 260/2026 धारा 309(4)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 260/26 धारा 309(4)/351(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदेही पर लूटे गये रूपयों में से 12,000/- रुपये नगद बरामद हुए हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम बसा टीकरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- निशांदेही पर लूटे गये रुपये में से 12,000/- रुपये नगद।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त के बयान एफआईआर एवं वादी के कथनों से भिन्न पाए जाने पर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने अपने गांव निवासी दीपक एवं उसके साथी विवेक के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। अभिषेक ने कपिल गौतम को गांधी-बिचपुड़ी मार्ग स्थित ट्यूबवेल पर बुलाया तथा दीपक व विवेक को भी स्थान की सूचना दी। बाद में दीपक एवं विवेक ने तमंचे के बल पर कपिल व अभिषेक के पास मौजूद धनराशि लूट ली, जिसमें से अभिषेक को ₹18,000 प्राप्त हुए।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-है0का0 410 राजवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-का0 479 कुलदीप शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4-का0 23 अजयपाल सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।